

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB PANCHKULA Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0004 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 10/09/2019 20:22 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- 2 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/09/2019 Time (समय): 19:39 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 10/09/2019 19:39 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 2 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): PANCHKULA,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
2. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 100 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): YAMUNA NAGAR,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP SURESH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 15/03/1970

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416322779

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार उप निदेशक			1. कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, SONIPAT CITY, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	राजिन्द्र सिंह सांगवान			1. उप निदेशक हाल सेवानिवृत्त, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, SONIPAT CITY, SONIPAT, HARYANA, INDIA
3	बिलेन्द्र सिंह सहायक			1. कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, SONIPAT CITY, SONIPAT, HARYANA, INDIA
4	सुरिन्द्र कुमार लेखाकार			1. कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, SONIPAT CITY, SONIPAT, HARYANA, INDIA
5	अरुण कुमार		Father's Name: धर्म सिंह	1. गांव कलवार, CHHAPAR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबंधक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला। श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यदि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिनांक 07.06.2019 की अनुपालना में जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.06.2019 पंचकुला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 9625/आई0-1/रा0चौ0ब्यूरो, दिनांक 13.06.2019 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक, व स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला द्वारा की गई थी। जांच में मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारीयों द्वारा सम्बन्धित जिला के शिक्षा संस्थानों तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रों को छात्रवृत्ति ना देकर उनके आधार न0 व खाता न0 बदलकर अपने जानकार लोगों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि डालकर सरकार की करोड़ों रूपयों की राशि का गबन किया है। आरोप की जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम की अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रुपये प्रति मास तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा सभी Non- Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को 160 रुपये से 750 रुपये तक प्रति माह छात्रवृत्ति तथा Non- Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से ट्यूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/-रुपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 से पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 में यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफ्टवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अद्योषित कर देते हैं। हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अद्योषित करते हैं। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानों से व राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति मंजूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिश ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिश के आधार पर नोटिंग पर केस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्प्यूटर पर मैन्यूअली छात्रों की सूची तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतु भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0ओ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते हैं। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0ओ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैंक में छात्रों के खातों में राशि ट्रान्सफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक में भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रान्सफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रान्सफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते हैं। अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नहीं गई। जो ड्राफ्ट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते हैं डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते हैं कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रान्सफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटिया लगाई गई हैं उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दौबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता में राशि ट्रान्सफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटिया ठीक करवाते हैं। जांच के दौरान जिला पंचकुला से सम्बन्धित 363 छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बारे तसदीक उनके घरों पर जाकर व जिला से बाहर के छात्रों की तसदीक उनके मोबाईल न0 पर फोन करके व सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में जाकर की गई। जिनमें से 77 छात्रों द्वारा तसदीक के दौरान बताया गया कि उन्हें छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। 77 छात्रों में से 48 छात्रों द्वारा बताया गया कि सूची में दर्शाये गये खाते उनके नहीं हैं। जिनकी राशि 12,15,798/-रुपये अन्य खातों में जानी पाई गई है तथा एक छात्र जगतार सिंह पुत्र जंग सिंह वासी नटवाल जिला पंचकुला द्वारा बताया गया कि उस द्वारा पंजाब पौलटेकनिकल कॉलेज लालडू मण्डी, पंजाब में दाखिला नहीं लिया गया। जिसकी छात्रवृत्ति राशि 27,010/-रुपये झा करवानी पाई गई है। सम्बन्धित रिकार्ड/कम्प्यूटरस का डाटा विश्लेषण करने बारे कंवर सिंह, सिनियर प्रोग्रामर, राज्य चौकसी ब्यूरो व अभिषेक सनन, सिनियर प्रोग्रामर, राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पाया गया कि वर्ष 2015-16 में 10 छात्रों के आधार न0 सैक्शन ब्रान्च में बदलकर 21,000/-रुपये का गबन किया जाना पाया गया है जबकि एक छात्र का आधार न0 लेखा शाखा में बदलकर 2476/-रुपये का गबन किया जाना पाया गया है इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में 20 छात्रों के आधार न0 सैक्शन ब्रान्च में बदले गए जिनकी छात्रवृत्ति राशि 6,00,390/-रुपये बनती है। परन्तु आधार खातों से लिंक ना होने के कारण यह राशि बाउन्स बैंक हो गई। वर्ष 2015-16 में 80 छात्रों के, वर्ष 2016-17 में 41 छात्रों के तथा वर्ष 2017-18 में 77 छात्रों के खाते आधार से लिंक ना होने के कारण बाउन्स बैंक होने पाए गए हैं। उपरोक्त अनुसार 12,66,284/-रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन किया जाना पाया गया है। जिला यमुनानगर से सम्बन्धित 1939 छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बारे तसदीक की गई। जिनमें से 261 छात्रों द्वारा तसदीक के दौरान बताया कि उन्हें छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। 261 छात्रों में से 200 छात्रों द्वारा बताया गया कि सूची में दर्शाये गये खाते उनके नहीं हैं। जिनकी राशि 50,07,808/-रुपये अन्य खातों में जानी पाई गई है तथा 1 छात्र अरुण कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव कलवार, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर बारे पैरामैडिकल काउंसिल, मोहाली पंजाब द्वारा लिखकर दिया गया कि इस छात्र द्वारा उनके संस्थान में कभी वी0एल0डी0ए0 का कोर्स करने के लिए दाखिला नहीं लिया गया। जिसके खाते में 1,17,760/-रुपये की राशि जानी पाई गई है। जिस द्वारा अपने खाते में राशि आना व उसका प्रयोग किया जाना माना है। सम्बन्धित रिकार्ड/कम्प्यूटर का डाटा विश्लेषण करने उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट से पाया गया कि वर्ष 2015-16 में 12 छात्रों के वर्ष 2016-17 में 137

I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म-I)

छात्रों के तथा वर्ष 2017-18 में 280 छात्रों के खाते आधार से लिंक ना होने के कारण बाउन्स बैंक होने पाए गए हैं। उपरोक्त अनुसार 51,25,568/-रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन किया जाना पाया गया है। पड़ताल से पाया गया कि जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम ऑन लाईन चलाई गई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत पुत्र श्री राजपाल, वासी गांव सिवाह, जिला पानीपत को समय-2 पर जिला सोनीपत से मुख्यालय पर बुलाकर इस स्कीम में काम करवाया गया। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति राशि की मंजूरी मिलने उपरान्त Excel फाईल तैयार की जाती थी, जिसमें छात्रों के आधार न0 बदल दिये जाते थे। यह आधार न0 सुरिन्द्र कुमार को अनिल कुमार, उप निदेशक व बलिन्द्र सिंह, सहायक द्वारा पैन ड्राईव में उपलब्ध करवाए जाते थे। राजिन्द्र सांगवान, अनिल कुमार उप निदेशक, बलिन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र सिंह लेखाकार कम लिपिक ने मिलकर प्रशिक्षण शाखा में मैन्यूअल Excel फाईल तैयार करते समय छात्रों के आधार न0 बदल दिये और Excel फाईल बिल तैयार करने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा में भिजवा दी। डी0डी0ओ0 द्वारा बिल बनाकर खजाना कार्यालय से बिल पास करवाने उपरान्त बैंक में भेजने के लिए XML फाईल तैयार करवाई गई जिसमें भी आधार न0 बदले जाने पाये गए हैं, क्योंकि छात्रों के उन खातों में राशि ट्रांसफर होनी थी, जो खाते आधार नम्बर से लिंक थे। उपरोक्त अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत्त, बिलेन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, ने आपराधिक षड़यन्त्र रचकर सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने-2 सरकारी पदों का दुरुपयोग करके रिकार्ड में आधार नम्बर बदलकर धोखाधड़ी करके पात्र छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि लगभग 63,91,852/-रुपये का गबन किया गया है तथा अरुण कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव कलवार, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर बारे पैरामैडिकल काउंसिल, मोहाली पंजाब द्वारा लिखकर दिया गया कि इस छात्र द्वारा उनके संस्थान में कभी वी0एल0डी0ए0 का कोर्स करने के लिए दाखिला नहीं लिया गया। फिर भी उस द्वारा 1,17,760/-रुपये की छात्रवृत्ति राशि गलत तरीके से लेकर गबन किया है। अतः उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की अनुशंसा की गई थी तथा तफतीश के दौरान श्री अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, श्री नवीन पुत्र श्री प्रकाश, निवासी गांव भैराण, जिला रोहतक, श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी व श्री राहुल पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी मकान न0 667/25, सी0 पटेल नगर, रोहतक तथा अन्य किसी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। जिला पंचकुला व यमुनानगर से सम्बन्धित जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 14177/रा0चौ0ब्यूरो दिनांक 03.09.2019 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0 (1) दिनांक 09.09.2019 के अनुसार जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 14614/आई0-1 दिनांक 10.09.2019 के द्वारा प्राप्त हुए हैं अतः अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत्त, बिलेन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत तथा अरुण कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव कलवार, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर के विरुद्ध धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रस्तुत है। जिस पर मुकदमा दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए। तथा नकल मिसल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए श्री शरीफ सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की जा रही है। अज - PS SVB PKL Sd Suresh Kumar निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला, 10.09.2019 at 7.30 pm अज थाना - उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 04 दिनांक 10.09.2019 धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर 17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया। प्र0सू0रि0 की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब यमुनानगर व पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में ईमेल के माध्यम से भिजवाई जा रही है। अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए श्री शरीफ सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sharif Singh Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kaushik

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				Is Proxitted: Yes
2	Male	1959				Is Proxitted: Yes
3	Male	1973				Is Proxitted: Yes
4	Male	1971				Is Proxitted: Yes
5	Male	1984				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)